8

भारतीय भाषायी प्रवेशिकाएँ— बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान बढ़ाने की एक पहल

रवींद्र कुमार*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा 3–18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई शिक्षा व्यवस्था प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल स्तर के बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान की समझ को बढ़ाने पर बल दिया गया है। शोध अध्ययनों के आधार पर यह माना जाता है कि बच्चे के मस्तिष्क के 85 प्रतिशत विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो चुका होता है। ऐसे में बच्चों की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान को बढ़ाने के लिए ऐसी पाठ्यसामग्रियों की आवश्यकता है जिनके उपयोग से बच्चे अपने सामाजिक-सांस्कृति परिवेश में मौजुद वस्तुओं से जुड़कर साक्षरता तथा संख्या-ज्ञान को बढ़ा सकें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत लेख को तैयार किया गया है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट तथा भारतीय भाषा संस्थान, मैसूरु के सहयोग से सभी भारतीय भाषाओं में प्रवेशिकाओं को न केवल विकसित किया जा रहा है, बल्कि समस्त राज्यों/केंद्र शासित राज्यों को बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा स्तर पर उनका उपयोग करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। भारतीय भाषाओं में विकसित इन प्रवेशिकाओं में बच्चों की मातृभाषा की ध्वनियों, वर्णों एवं मात्राओं के अभ्यास के साथ-साथ 1–20 तक की संख्याओं के अभ्यास को भी शामिल किया गया है। ये प्रवेशिकाएँ बच्चों के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश से लिए गए चित्रों के प्रयोग से इतनी प्रभावी हो गई हैं कि इनसे बच्चे शिक्षक एवं वयस्क अपनी मातृभाषा के माध्यम से द्वितीय भाषा को भी सरलता से सीख रहे हैं। ये प्रवेशिकाएँ निश्चित रूप से बच्चों की बुनियादी साक्षरता के साथ-साथ संख्या-ज्ञान को बढ़ाने में सहयोग प्रदान कर रही हैं।

भारत एक बहुभाषिक और बहु-सांस्कृतिक राष्ट्र रहा है। यही भाषायी-सांस्कृतिक विविधता भारत को विश्व के सभी देशों से अनोखा बनाती है। हम अपने दैनिक व्यवहार में कई भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जो हमें एक साथ बाँधती हैं और एकजुट रखती हैं। भारत की बहुभाषिकता इस बात से सिद्ध होती है कि 1971 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 1652 भाषाओं की पहचान की गई, जो पाँच विभिन्न भाषा-परिवारों; जैसे— इंडो-आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो-एशियाटिक, तिब्तो-बर्मन तथा सीमिटो-हैमिटिक के तहत आते हैं।

**सह-आचार्य*, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली 110 016

प्रिंट मीडिया में लगभग 87 से ज्यादा भाषाएँ प्रयुक्त होती हैं, रेडियो में लगभग 71 भाषाएँ और प्रशासन के स्तर पर लगभग 13 विभिन्न भाषाएँ प्रयुक्त होती हैं। लेकिन बड़े खेद की बात है कि केवल 47 भाषाएँ ही विद्यालयों में पठन-पाठन के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती हैं राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र, 2009।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 एवं बुनियादी स्तर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ.-एफ.एस.) 2022 के अंतर्गत 3–8 वर्ष तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा, घरेलू भाषा, स्थानीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने की अनुशंसा की गई है। यह नीति इस बात पर भी बल देती है कि भारत की बहुभाषिक प्रकृति एक बहुत बड़ी संपत्ति है, जिसका देश के सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए कुशलतापूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता है। यह नीति शिक्षा के हर स्तर पर बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की अनुशंसा करती है, ताकि बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने-लिखने के अवसर प्राप्त हो सके। भारतीय भाषाओं में शिक्षण-अधिगम सामग्री के गुणवत्तापूर्ण सृजन से इस बहुभाषिक संपदा में वृद्धि हो रही है।

भाषायी क्षेत्र में हुए शोधों के निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा, घरेलू भाषा, स्थानीय भाषा, अथवा क्षेत्रीय भाषा में सीखने-सिखाने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे उनमें न केवल भाषायी कौशलों का विकास हो, बल्कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके।

एन.ई.पी. 2020 की संस्तुति के आधार पर, प्रारंभिक कक्षा की प्रवेशिकाओं के विकास के लिए एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो भारत के प्रत्येक क्षेत्र की अनोखी भाषायी और सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुरूप हो। आज भी हमारे देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ बच्चे विद्यालय में पढ़ने वाली भाषा को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इन चुनौतियों को बच्चों की मातृभाषा, स्थानीय भाषा अथवा घर में बोली जाने वाली भाषा में शब्द जोड़कर, लोक गीतों और कहानियों को सुनाकर दूर किया जा सकता है। आज आवश्यकता है कि बच्चों को अक्षर पहचान के साथ-साथ अर्थपूर्ण ढंग से पढ़ना और लिखना सिखाया जाना चाहिए। इन्हीं उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट तथा भारतीय भाषा संस्थान, मैसूरु के सहयोग से 120 से अधिक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं में प्रवेशिकाओं को विकसित किया जा रहा है।

प्रवेशिकाओं का परिचय

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 में विस्तृत रूप से बताया गया है कि सर्वप्रथम भाषा ही हमारी समझ का माध्यम बनती है। इसलिए भाषा की वर्णमाला की पुस्तकों में बच्चों की मातृभाषा एवं विद्यालय की भाषा की समस्त ध्वनियों, वर्णों एवं मात्राओं को स्थान दिया जाना चाहिए। प्रवेशिकाएँ किसी भाषा की वर्णमाला के अक्षरों और प्रतीकों के उच्चारण करने, पहचानने, लिखने एवं समझने की कुंजी हैं। इसके साथ ही

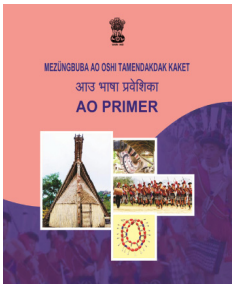

बच्चों को ध्वनि परिचय, वर्ण परिचय एवं लेखन अभ्यास के लिए भी भाषा प्रवेशिकाएँ उपयोगी हैं। प्रवेशिकाएँ न केवल पढ़ने और लिखने की भाषायी दक्षता में सहायता करती हैं, बल्कि प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थियों में रचनात्मकता और आलोचनात्मकता को भी बढ़ावा देने के साथ-साथ बहुभाषिकता को भी प्रोत्साहित कर रही हैं।

प्रवेशिकाओं का शिक्षणशास्त्रीय आधार

प्रवेशिकाओं के निर्माण में बच्चों के स्तर को ध्यान में रखा गया है, जिससे बच्चों की भाषायी दक्षताओं को बढ़ाया जा सके। प्रवेशिकाओं के आरंभ में कुछ रेखाएँ दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि रेखाओं को देखकर खाली स्थानों में उसी तरह की रेखाएँ बनाइए। इस अभ्यास से बच्चों में पेंसिल पकड़ने और दिए गए नियत स्थान पर रेखाएँ खींचने का अभ्यास कराया जा सकता है। यह अभ्यास बच्चों के लेखन कौशल में दक्षता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।

प्रवेशिकाओं के अगले पृष्ठ पर बच्चों को मातृभाषायी ध्वनियों के उचित उच्चारण का अभ्यास कराने का अवसर प्रदान किया गया है। इस गतिविधि में ध्वनियों को बच्चों की मातृभाषा में दिया गया है। जिससे बच्चे समस्त ध्वनियों को स्वर और व्यंजन के

स्रोत— खड़िया भाषा प्रवेशिका (2024)

रूप में उनके उचित उच्चारण के साथ अभ्यास कर सकेंगे, जिससे उनके बोलने के कौशल में वृद्धि होगी।

इन प्रवेशिकाओं की मुख्य विशेषता यह मानी जा सकती है कि इनमें बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा तथा द्वितीय भाषा में अक्षर एवं उनसे बनने वाले शब्दों को चित्रों सहित दिया गया है। यहाँ शिक्षक पहले बच्चों को बताएगा कि किसी भी भाषा का अक्षर कैसा दिखता है, जैसे— हिंदी में 'अ', बंगाली में 'অ' या अंग्रेजी में 'A'। तत्पश्चात अभ्यास हेतु कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनमें से बच्चों को 'अ' या उनकी मातृभाषा वाले किसी भी अक्षर की पहचान करनी है और दिए गए शब्दों में उपयुक्त अक्षर की पहचान कर उनके उच्चारण करने का अभ्यास करना है। यहाँ तक कि प्रवेशिकाओं में बच्चों की सुविधानुसार उपयुक्त सुंदर चित्रों का भी समावेशन किया गया है। निश्चित रूप से चित्रों को देखकर बच्चे नए-नए शब्दों को बोलेंगे और अपनी कॉपी पर लिखने का अभ्यास भी करेंगे। प्रत्येक अक्षर या ध्वनि के लिखने के लिए भी पर्याप्त जगह प्रदान की गई है, जिससे बच्चे बॉक्स में अक्षर को सही ढंग से लिखने का अभ्यास कर सकेंगे। फिर भी सही उच्चारण एवं वर्तनी न होने पर अध्यापक बच्चों को सही उच्चारण तथा वर्तनी का अभ्यास भी कराएँगे। जिन भाषाओं में मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, प्रवेशिकाओं में बच्चों को मात्राओं के ज्ञान के लिए भी पर्याप्त अवसर दिया गया है। प्रत्येक मात्रा के लिए एक से अधिक उदाहरण तथा परिवेशानुकूल चित्र दिए गए हैं। इस प्रकार इस गतिविधि से बच्चों में चित्र पहचान के साथ-साथ नवीन शब्दों के शब्दकोश में वृद्धि होगी और बोलने, पढ़ने एवं लिखने के कौशल में भी

दक्षता आएगी। प्रवेशिकाओं के अंतिम भाग में बच्चों को 1–20 तक की गिनती सीखने का प्रभावी अभ्यास दिया गया है, जिसमें बच्चे गिनती पढ़ने के साथ-साथ दिए गए चित्रों को भी गिनकर अपनी समझ को और बढ़ा सकते हैं और दिए गए रिक्त स्थानों में गिनती का अभ्यास भी कर सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये प्रवेशिकाएँ बच्चों की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान को बढ़ाने का एक प्रभावी पिटारा हैं।

प्रवेशिकाओं का विकास

प्रवेशिकाओं की संकल्पना और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली तथा उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट द्वारा एक सराहनीय कदम उठाया गया, जिसमें 17 अगस्त 2023 को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में कुवी (ओडिशा राज्य का पूर्वी क्षेत्र) तथा देसिया (ओडिशा राज्य का दक्षिणी-पश्चिम क्षेत्र) भारतीय भाषायी प्रवेशिकाओं का विमोचन किया गया।

शिक्षा मंत्रालय के तत्वधान में रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली तथा भारतीय भाषा संस्थान, मैसूरु के प्रयासों के परिणामस्वरूप द्वितीय चरण में 52 भारतीय भाषाओं में प्रवेशिकाओं को तैयार किया गया है, जिनको 9 मार्च 2024 को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विद्यालयी शिक्षा के हितधारकों को सौंपा गया। ये 52 प्रवेशिकाएँ एवं उनके बोले जाने वाले क्षेत्र क्रमशः इस प्रकार हैं— 1. अनाल (मणिपुर राज्य का चंदेल और चकपीकरोंग क्षेत्र), 2. अंगामी (नागालैंड राज्य का कोहिमा, दीमापुर और जाखमा क्षेत्र), 3. असमिया (असम राज्य का नगाँव, दिसपुर और कामरूप क्षेत्र), 4. आउ (नागालैंड राज्य दिमापुर, मोकोकचुंग और कोहिमा क्षेत्र), 5. भूटिया (सिक्किम राज्य का गंगटॉक, दिरांग, पूर्वी जिला, तवांग क्षेत्र), 6. बोडो (असम राज्य का चिरांग, उदलगुरी, बक्सा क्षेत्र), 7. देउरी (असम राज्य का लखीमपुर और तिनसुकिया क्षेत्र), 8. दिमासा (असम राज्य का दीमा हसाओ, कार्बी एंगलोंग क्षेत्र), 9. गदबा (ओडिशा राज्य का कोरापुट और पोट्टांगी क्षेत्र), 10. गारो (मेघालय का पूर्वी गोरो हिल्स, पश्चिमी गोरो हिल्स क्षेत्र), 11. हल्बी (छतीसगढ़ राज्य का बस्तर, कोंडागांव और तोकापाल क्षेत्र), 12. हमार (असम राज्य का चुराचांदपुर, दीमा, और हसाओ क्षेत्र), 13. जातापु-कुवि (आंध्र प्रदेश का विजयनगरम क्षेत्र), 14. जुआंग (ओडिशा का केंदुझार और ढेंकनाल क्षेत्र), 15. कबुइ-रोंमै (मणिपुर राज्य का तामेंगलोंग और इंफाल पश्चिम क्षेत्र), 16. कार्बि (असम राज्य का कार्बी आंगलोंग और सोनितपुर क्षेत्र), 17. खानदेशी (महाराष्ट्र राज्य का बड़वानी, सेंधवा और पानसेमल क्षेत्र), 18. खड़िया (झारखंड राज्य का सिमडेगा और सुंदेगढ़ क्षेत्र), 19. कुजाले-खेजा (नागालैंड राज्य का फेंक और उखरूल क्षेत्र), 20. किन्नौरी (हिमाचल प्रदेश राज्य का किन्नौर, लाहुल और स्पीति क्षेत्र), 21. कोडवा (कर्नाटक राज्य का कोडागु और मडिखेरी क्षेत्र), 22. कोंडा (आंध्र प्रदेश राज्य का विशाखापट्नम और विजयनगरम क्षेत्र), 23. कोया (आंध्र प्रदेश राज्य का कलकानगिरी और खम्मम क्षेत्र), 24. कोरकू (मध्य प्रदेश राज्य का खंडवा और बैतूल क्षेत्र), 25. कुइ (ओडिशा राज्य का रायगढ़ और गंधमाल क्षेत्र), 26. कुकि (नागालैंड राज्य का सेनापति और

दीमापुर क्षेत्र), 27. कुँड़ख (झारखंड राज्य का गुमला और राँची क्षेत्र), 28. किसान-कुणहुँ (ओडिशा राज्य का सुंदरगढ़ और गारसुगुडा क्षेत्र), 29. लियांगमाइ (मणिपुर राज्य का तामेंगलोंग और सेनापति क्षेत्र), 30. लिम्बु (सिक्किम राज्य का पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र), 31. लोथा (नागालैंड राज्य का वोगा और दीमापुर क्षेत्र), 32. मणिपुरी (मणिपुर का इम्फाल क्षेत्र), 33. माओ (मणिपुर राज्य का कोहिमा और सेनापति क्षेत्र), 34. मिशमी-इदु (अरुणाचल प्रदेश राज्य का लोहित और अंजॉ क्षेत्र), 35. मिसिं (असम राज्य का धेमाजी और जोरहाट क्षेत्र), 36. मिजो (मिजोरम राज्य का आइजोल, लुंगलेई और सेरछिप क्षेत्र), 37. मोघ (त्रिपुरा राज्य का दक्षिण त्रिपुरा और धलाई क्षेत्र), 38. मुंडारी (झारखंड राज्य का खंटी और सिमडेगा क्षेत्र), 39. नेपाली (सिक्किम एवं दार्जिलिग क्षेत्र), 40. नयेशी-निशी (अरुणाचल प्रदेश राज्य का पूर्वी कामेंग और पापुम पाने क्षेत्र), 41. राई (सिक्किम राज्य का दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र),

42. संताली-बंगाली (पश्चिम बंगाल राज्य का झारग्राम और बांकुरा क्षेत्र), 43. संताली-उड़िया (ओडिशा राज्य का मयूरभंज क्षेत्र), 44. शेरपा (सिक्किम राज्य का नामची और गंगटोक क्षेत्र), 45. सोरा (ओडिशा राज्य का गजपति और रायगढ़ क्षेत्र), 46. सुमी (नागालैंड राज्य का दीमापुर और कोहिमा क्षेत्र), 47. तमांड (सिक्किम राज्य का दक्षिण और पूर्वी जिला, नामची और गंगटोक क्षेत्र), 48. तांगखुल (मणिपुर राज्य का उखरुल क्षेत्र), 49. टैंग्सा (अरुणाचल प्रदेश राज्य का तिरप और चांगलांग क्षेत्र), 50. तिवा (असम राज्य का कार्बी आंगलोंग और मोरीगांव क्षेत्र), 51. तुलु (कर्नाटक राज्य का दक्षिण कन्नड़ तथा उडुपी क्षेत्र), और 52. वांचो (अरुणाचल प्रदेश राज्य का तिरप क्षेत्र)।

शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली तथा भारतीय भाषा संस्थान, मैसूरु ने इसी क्रम में न केवल 25 भारतीय भाषाओं, जैसे— आदि, भूमिज, चांग, गोंडी-उड़िया, हलम, हो-ओडिया, खिआम्नियुंगन, कोच, कोडा, कोलामी-तेलुगु, कॉम, कोन्याक, लद्दाखी, लेप्चा, मारा (लाखेर), मैरम, नोक्टे, पश्तो, पोचुरी, राभा, रेंगमा, शिना, तमिल, तिब्बती, यिमखिउंग (यिमचुंगर) में प्रवेशिकाओं को तैयार किया, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चौथी वर्षगांठ के शुभ अवसर पर 'अखिल भारतीय शिक्षा समागम-2024' में माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार द्वारा जनसामान्य तक पहुँचाने का संकल्प लिया। अब तक विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित 79 प्रवेशिकाओं को रा.शै.अ.प्र.प. के वेब पोर्टल https://ncert.nic.in/primers.php?ln=en तथा दीक्षा डिजिटल पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है, जिनसे विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा शिक्षा के अन्य हितधारक लाभान्वित हो रहे हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ये प्रवेशिकाएँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित बहुभाषिकता को साकार रूप प्रदान कर रही हैं। ये प्रवेशिकाएँ बच्चों की प्रथम भाषा के साथ द्वितीय भाषा को भी सीखने के अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त बच्चों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान को सीखने में प्रेरक सिद्ध हो रही हैं। अब तक इन प्रवेशिकाओं के द्वारा भारतवर्ष के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (1. आंध्र प्रदेश, 2. अरुणाचल प्रदेश, 3. असम, 4. छत्तीसगढ़, 5. हिमाचल प्रदेश, 6. जम्मू और कश्मीर, 7. झारखंड, 8. कर्नाटक, 9. लद्दाख, 10. मध्य प्रदेश, 11. महाराष्ट्र, 12. मणिपुर, 13. मेघालय, 14. मिजोरम, 15. नागालैंड, 16. ओडिशा, 17. सिक्किम, 18. तमिलनाडु, 19. तेलंगाना, 20. त्रिपुरा, और 21. पश्चिम बंगाल) की भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 6 भारतीय भाषाओं (असमिया, बोडो, मणिपुरी, नेपाली, संथाली और तमिल) और 73 गैर-अनुसूची भाषाओं सहित कुल 79 प्रवेशिकाओं को विकसित किया जा चुका है। प्रवेशिकाओं के विकसित हो जाने के बाद से ही इन प्रवेशिकाओं को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा के समस्त हितधारकों को प्रदान भी किया जा चुका है, जिससे देश के बच्चे, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य हितधारक इन प्रवेशिकाओं से लाभांवित हो रहे हैं।

इन प्रवेशिकाओं में स्थानीय चित्रों को वर्णों, मात्राओं और रंगों की समझ के लिए इस प्रकार

व्यवस्थित किया गया है कि बच्चे, शिक्षक एवं वयस्क अपनी मातृभाषा में सहजता से समझने के साथ-साथ द्वितीय भाषा को भी सरलता से समझ सकते हैं। प्रत्येक अक्षर, मात्रा, संख्या को लिखने के लिए भी पर्याप्त जगह प्रदान की गई है, जिससे बच्चे दिए गए खाली बॉक्स में इनको सही ढंग से लिखने एवं पढ़ने का अभ्यास कर भाषायी कौशलों में दक्ष हो सकते हैं। इस प्रकार ये प्रवेशिकाएँ बच्चे, शिक्षक, वयस्क तथा शिक्षा के अन्य हितधारकों के लिए भाषा सीखने का एक सशक्त माध्यम बनती जा रही हैं।

संदर्भ

रा.शै.अ.प्र.प. 2009. भारतीय भाषाओं का शिक्षण. *राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली.

———. 2022. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा— बुनियादी स्तर 2022*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली.

———. 2024. *खडिया भाषा प्रवेशिका*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली एवं भारतीय भाषा संस्थान, मैसूरु.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.